Jammu and Kashmir Local Bodies Law (Amendment) Bill, 2024

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री नित्यानन्द राय**):** सभापति महोदय, श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं :

?कि जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 (1989 का 9), जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (2000 का 20) और जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 (2000 का 21) का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

माननीय सभापति**:** माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री नित्यानन्द राय**:** महोदय, यह ओबीसी को अधिकार देने वाला तथा पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव में अधिकार, यानी आरक्षण देने का विधेयक है । अभी तक जम्मू-कश्मीर के ओबीसीज़ को नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर प्रगति के पथ पर है । वहां के ओबीसीज़ को लोकल बॉडी के चुनाव में आरक्षण देना उनके हित में भी है और प्रगति के रूप में है । आज उनको न्याय देने के रूप में यह विधेयक आया है ।

महोदय, भारत के संविधान के भाग 9 और भाग 9 ए में पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए प्रावधान है । इसमें पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं में सीटों के लिए आरक्षण का एक सक्षम प्रावधान भी है ।

महोदय, जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 में पंचायतों और नगरपालिकाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है । इस संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान हो सकेगा । संविधान के अनुसार नगरपालिकाओं के चुनाव का संचालन एवं नियंत्रण राज्य चुनाव आयुक्त के पास होना चाहिए । जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में यह अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास है । इस प्रस्तावित संशोधन से यह अधिकार राज्य चुनाव आयुक्त के पास जाएगा ।

महोदय, संविधान में प्रावधान है कि राज्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह से पद से हटाया जाएगा, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है । जबकि जम्मू और कश्मीर में यह अधिकार उप-राज्यपाल के पास है । इस संशोधन के माध्यम से इसे संविधान के अनुरूप किया जाएगा ।

महोदय, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद सभी केंद्रीय अधिनियमों सहित भारत का पूरा संविधान जम्मू-कश्मीर पर लागू कर दिया गया है ।

वर्तमान विधेयक जम्मू-कश्मीर के तीन अधिनियमों को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बनायेगा । इन संशोधनों से अन्य पिछड़ा वर्ग को निर्वाचित स्थानीय निकायों में अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा । यह एक प्रगतिशील विधेयक है, जो आजादी के 75 साल बाद जम्मू-कश्मीर में अन्य पिछड़े वर्ग समुदायों को न्याय देगा ।

यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है । इस संशोधन से अन्य पिछड़ा वर्ग को निर्वाचित स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा, जिसमें 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए भी संरक्षित होंगी ।

अत: मेरे द्वारा स्पष्ट की गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां संशोधन विधेयक, 2024 पर विचार किया जाए और इसे पारित करने की कृपा की जाए ।

माननीय सभापति **:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 (1989 का 9), जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (2000 का 20) और जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000(2000 का 21) का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए । ?

श्री जसबीर सिंह गिल **(**खडूर साहिब**):** सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद । पंचायती राज सिस्टम देश में बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ । 73 वें और 74 वें जो कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट्स आए, उसके बाद इसको ताकत मिली । इसके बाद यह पूरी रफ्तार के साथ चलने लगा । जो इसके इलेक्शन्स थे, वे भी टाइम बाउंड होने लगे और इसका एक प्रॉपर टाइम फ्रेम बन गया ।

सर, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, वेटनरी हॉस्पिटल्स, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ऐसे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स इनको मिले । जम्मू-कश्मीर में इसका आना बहुत जरूरी है । यह डेमोक्रेसी का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जमीनी स्तर से, गांव स्तर से शुरू होता है । हमने देखा कि कैसे जम्मू-कश्मीर में उनसे स्टेटहुड तो ले ही लिया गया, मगर ये जो इंस्टीट्यूशन्स हैं, यह लोकल लोगों की आवाज बन पाई । अभी भी इसमें काफी खामियां हैं । जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, इस सिस्टम को अच्छी तरह से चलाने में एक बहुत बड़ी बाधा है । इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेयरेंस हैं, वह भी हमने देखा कि बहुत हद तक इन इंस्टीट्यूशन्स को कमजोर करने के लिए चल रही है । इसके अलावा काफी और तकलीफें हैं, काफी और ऐसी स्ट्रेन्स हैं, जो इसको बांधकर रख रहे हैं, इसको पूरे फुल फॉर्म में चलने नहीं दे रहे हैं ।

सर, रूरल एरिया अगर तगड़ा होगा, तो देश तगड़ा होगा । महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर असली भारत देखना हो तो गांव में जाकर देखिए । मैंने जम्मू-कश्मीर में जितना देखा है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेयरेंस भी रहता है । कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पंचायतों को लेकर चलाती है । अगर हमें सच में इसको चलाना है तो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए । जो यह पॉलिटिकल इंटरफेयरेंस है और दूसरा जो इंटरफियरेंस है, उसको जितना कम से कम किया जा सके, उतना अच्छा है ।

सर, यह अच्छी बात है कि हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दी है । मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की, यूथ की, ओबीसी की, सभी प्रकार के जो भी हैं, अगर उनकी भागीदारी रहे, तो यह सिस्टम और स्ट्रेंग्थेन होगा । हमें इसे इससे ज्यादा देखना पड़ेगा । अगर हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दी तो मैं समझता हूं माइनॉरिटी के लिए भी कुछ न कुछ प्रावधान करना चाहिए । सिख भी जम्मू-कश्मीर में रहते हैं । अगर उनकी पार्टीसिपेशन देख ली जाए तो बहुत ही कम पार्टीसिपेशन है । इसमें कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे माइनॉरिटी को एक आवाज मिल सके, उनकी पार्टीसिपेशन भी इसमें हो सके । पंचायती राज जिसमें लोकल बॉडी होता है, यह बहुत ही बढ़िया है । इनको प्रॉपर डिपार्टमेंट चलाने के लिए दे दिया जाए ।

यह देखा जाता है और कहने को 28 डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है, जिसमें लोकल बॉडी काम कर सकती है, जिसे चला सकती है । यह चलाना भी जरूरी है, क्योंकि उनको लोकल जरूरतों का पता रहता है । अगर कैपिटल में ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बाबू लोग हैं, उनको काजीगुंड में क्या हो रहा है, गुरेज़ में क्या हो रहा है, गुरेज़ की क्या जरूरतें हैं, कैसे उसे पूरा करना है, उसके बारे में उनको बहुत कम पता होगा, उनको टोपोग्राफी और लोकल जरूरतों का ज्ञान ज्यादा रहता है । मगर अफसोस की बात है कि किताबों में हमने इतने सारे डिपार्टमेंट्स पंचायतों को दे दिए हैं, किंतु जमीनी हकीकत देखो तो कुछ नहीं है ।

अगर सही ढंग से काम किया जाए, मैं समझता हूं अगर इस डिपार्टमेंट को कम्पलीट कंट्रोल दे दिया जाए तो इससे लोगों की जरूरतें भी पूरी होंगी और उनको अच्छी तरह से चलाया भी जा सकता है ।

इसके अलावा, सबसे गंभीर बात वह अभाव और कमी है, हमें लोगों को इन संस्थाओं के माध्यम से जागरूक करना पड़ेगा । आप गांव में चले जाएं तो बहुत कम लोग हैं जिनको इसका ज्ञान है कि कैसे चलना है । इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, ताकि लोगों को सेनटाइज किया जा सके और लोगों को ज्ञान दिया जा सके । मैं इसी आस के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप इसका संज्ञान लेंगे और मैंने डिपार्टमेंट्स वाली जो बात कही है, उसको आप प्रॉपर तरीके से पंचायती राज को हैंड ओवर करेंगे ताकि वह अच्छा काम कर सकें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । आज विशेषतौर पर ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है । ये लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि हमारे साथ भी इंसाफ होगा । ये लोग काफी देर से ऐजिटेशन भी करते रहे हैं, अपनी बात अपने तरीके से ऊपर तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला था ।

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार के रहते ओबीसी वर्ग के लोगों को इंसाफ मिला है और जम्मू-कश्मीर के लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं । उनको लगता है कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा । विशेष तौर पर जो पार्टियां वहां सत्ता में रही हैं, चाहे वह नेशनल कान्फ्रेंस हों, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, उन्हें लोक लुभावने नारे देकर अपने साथ चलाया, वोट बैंक की राजनीति की । वोट लेने के समय बहुत लोक लुभावने नारे देकर अपने साथ चलाते रहे, लेकिन उनको इंसाफ नहीं दिया । पूरे देश में अलग से कानून था और जम्मू-कश्मीर में अलग कानून था ।

पूरे देश में इस वर्ग के उत्थान के लिए और इनका मनोबल बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए थे । इनके लिए आरक्षण था लेकिन जम्मू-कश्मीर इससे वंचित था । मैं इसका सारा दोष, जो पहले सत्ताधारी पार्टियां थीं, विशेष तौर पर नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को देता हूं, क्योंकि इन्होंने आज तक इनके साथ बेइंसाफी का रुख अपनाया हुआ था । आज मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को लाकर एक अच्छा कदम उठाया है । मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, विशेषकर लोकल बॉडीज़, चाहे कार्पोरेशन हो, चाहे म्युनिसिपल कमेटीज़ हों, चाहे म्युनिसिपल काउंसिल हो, अब इन सबमें इस वर्ग को आरक्षित सीटें दी जाएंगी । जम्मू-कश्मीर में अब माताओं और बहनों को भी आरक्षण मिलेगा । माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में माताओं और बहनों के लिए एक नहीं, अनेक कदम उठाए गए हैं । आज यहां जो बिल लाया गया है, उसके तहत भी माताओं और बहनों को राहत मिलेगी ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह अच्छी बात है, यह होना ही चाहिए था और बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि आज तक इनको इंसाफ नहीं मिला था । मैं देख रहा था, पंचायतों में ब्लॉक लैवल तक आरक्षण दिया जाएगा और म्युनिसिपल कार्पोरेशन में भी आरक्षण दिया जाएगा । मैं बताना चाहता हूं कि हमारे भाई हमेशा कहते थे कि सब वर्गों के साथ इंसाफ हुआ है, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है । आज इस बिल को लाकर माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने साबित कर दिया है कि हम किसी भी वर्ग के साथ बेइंसाफी नहीं होने देंगे । इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यह बिल लाया गया है । मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, इससे पहले भी कई बार वकालत हुई थी, लेकिन एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने इस वर्ग के साथ हमेशा झूठे वादे ही किए और आरक्षण नहीं दिया । मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं देश के माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने हर वर्ग के साथ इंसाफ किया है और अब इस वर्ग के साथ भी इंसाफ कर रहे हैं और मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं । इससे आने वाले दिनों में इनका मनोबल तो बढ़ेगा ही और साथ ही इस वर्ग के लोग जिस दृष्टि से अपने आपको असहाय और पिछड़े समझते थे, उससे निजात पाएंगे ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Thank you, Chairperson Sir for allowing me to speak on the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024, which brings several positive changes.

There is inclusive representation in it. The inclusion of OBCs in local body reservations enhances social inclusivity and ensures that these communities have a voice in local governance. This step towards broader representation is pivotal for balanced social development.

There is a streamlined election process. Centralizing the election process under the State Election Commission promotes a more organized and standardized approach. This can lead to more efficient election management, reducing discrepancies and enhancing the overall integrity of the electoral process.

It ensures empowerment of women by ensuring reservations for women including those from marginalized communities like SCs, STs, and OBCs. The Bill promotes gender equality in local governance. This is a significant step towards empowering women, ensuring their participation and representation in decision-making processes at the local-level.

There is legal consistency. The provisions for removal of the State Election Commissioner are aligned with constitutional standards, bringing local laws in harmony with the national legal framework.

This helps maintain legal consistency and reinforces the rule of law in the local governance structures. These positives mark a significant advancement in ensuring a more inclusive, efficient, and legally consistent local governance system in Jammu and Kashmir.

The YSR Congress Party stands shoulder to shoulder with the efforts of the Central Government in ensuring further integration of Jammu and Kashmir with the country in terms of laws, rights and reservations. It is also astonishing to note that Article 370 had such a regressive effect on the representation of women and OBCs in Jammu and Kashmir, and I commend the hon. Home Minister in trying to undo the injustices one by one.

In every session, there are Bills related to Jammu and Kashmir, whether it is the Reorganisation Bill, a Bill for providing EWS reservation to the residents of Jammu and Kashmir or even representation of the Kashmiri Pandits. The progressive legislations for Jammu and Kashmir are much needed and appreciated across all benches of this august House.

Regarding issues related to OBCs, in Andhra Pradesh, our Chief Minister, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy *Garu* always refers to BCs as Backbone Class, not backward class. In light of the same, I would urge the Central Government to bring a law to provide for further representation of OBCs such as reservation of 33 per cent in State Assemblies and also in the Lok Sabha. This would ensure that the issues pertaining to OBCs are raised and resolved more effectively.

Further, to benefit Other Backward Classes in India, the following three steps can be taken. The first step is to enhance educational opportunities by implementing targeted educational programs and scholarship schemes to improve access to quality education for OBC students. The second step is to take skill development initiatives. The Government should launch skill development programs specifically tailored for OBC youth to enhance their employability in various sectors. The third step is to provide entrepreneurship support. The Government should provide financial assistance, subsidies, and training for OBC individuals to encourage entrepreneurship and self-employment.

Establishing a dedicated Ministry for Other Backward Classes which comprise about half of India's population could significantly address and streamline the specific challenges they face. Unlike the tribal communities which have a dedicated ministry, the OBCs currently lack a specialized Government body to focus on their

unique needs and issues. This proposed Ministry would play a crucial role in ensuring the effective implementation of quotas reserved for OBCs, both in educational institutions and employment sectors. Moreover, it would serve as a dedicated platform to address various forms of discrimination that OBCs encounter, and to promote greater social justice and equity. The Ministry could also oversee the development and implementation of policies and programmes specifically tailored to improve the socioeconomic conditions of the OBC community ensuring that their concerns and rights are adequately represented and addressed at the national level.

It has been observed that there are several Government bodies that do not meet the requirement of 27 per cent positions to be occupied by OBCs. One such example are our Central educational institutions that have a severe deficit in recruiting faculty members from Other Backward Classes. The Government data from 2021 revealed a staggering 6,074 vacant faculty positions in 42 Government-run universities with 75 per cent of these vacancies falling within the reserved categories ranging from 62 per cent to 90 per cent vacancy for OBC positions. Proper implementation of the reservation policy is crucial, and the Government must focus on rectifying this issue. Expedited recruitment for reserved categories, regular monitoring, and Government-sponsored preparatory programs are essential measures.

With these comments, I support the Bill on behalf of YSR Congress Party.

माननीय सभापति **:** श्री हसनैन मसूदी जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** जी, आप उस वक्त नहीं थे । इनके बाद आपको अवसर दिया जाएगा ।

श्री हसनैन मसूदी **(**अनन्तनाग**):** बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब । आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं । मैं इस बिल के कंटेंट से ज्यादा बिल के फॉर्मेशन पर, यह जो प्रयास है, उस पर आ रहा हूं । मैं माननीय सदस्यों से यह दरख्वास्त करूंगा कि वे देख लें कि क्या किया जा रहा है? वर्ष 1999 का कानून, जो जम्मू-कश्मीर असेंबली ने पास किया है तथा वर्ष 2000 का जो कानून है, उसमें संशोधन, तरमीम की जा रही है । 5 अगस्त, 2019 को जो एक मार्केट किया गया इंस्टिट्यूट पर कि जम्मू-कश्मीर में कुछ भी नहीं है, कोई पंचायत नहीं, कोई कानून नहीं है, इसलिए 5 अगस्त को जो फैसले किए गए, वे जरूरी बन गए ।

जनाब, अब उनकी तकजीब होती है । What was said is belied. वर्ष 1999 में कानून मौजूद था । वहां पर पंचायतों का इलेक्शन 1968 में हुआ । वहां पर तीनों स्ट्रक्चर मौजूद थे । यह जो बयान दिया गया है, वह 5 अगस्त के फैसले को मार्केट करने के लिए उसकी तखसीम होती है, यह पहली बात है ।

वर्ष 1999 में पंचायती राज एक्ट था और वर्ष 2000 में म्यूनिसिपल एक्ट व म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट था । 5 अगस्त, 2019 को जो बयान बनाया गया और कहा गया कि इससे सब ठीक हो जाएगा । कल कारगिल और लेह सब-जीरो टेंपरेचर में हैं । माइनस 10 डिग्री में सारी की सारी आबादी सड़कों पर थी । कारगिल और लेह बंद था ।

जनाब, हमने 5 अगस्त के फैसले से मुल्क को क्या दिया? हम अपनी जम्मू-कश्मीर और सारे मुल्क की आवाम को मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं । यह भी कहा गया कि मिलिटेंसी खत्म हो गयी । हमने वीर जवानों तथा अपने 20 ऑफिसर्स को पिछले 3 महीनों में खोया । उनमें एक कमांडिंग ऑफिसर था । मैं बार-बार कहता हूं कि किसी कमांडिंग ऑफिसर की रेगुलर वॉर में भी डेथ नहीं हुई ।

जनाब, 5 अगस्त, 2019 का जो वह फैसला था, क्या वह इससे गलत था, अलग था और वाक्यात के खिलाफ था? मैं कंटेंट पर नहीं हूं । जम्मू-कश्मीर को क्या बनाया गया और कैसे एक लैबोरेट्री बनाई गई और सारे देश को वोट के लिए, पॉलिटिक्स के लिए मार्केट किया जा रहा है । दरअसल वाक्यात क्या थे और क्या थे, जो छिपाए गए?

जनाब, दूसरी बात यह है कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है, केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फेडरल स्ट्रक्चर हमारे आईन का बेसिक स्ट्रक्चर है । हमारी एक कांस्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है । आज आप पार्लियामेंट में एक स्टेट के बनाए गए कानूनों का बार-बार अमेंडमेंट कर रहे हैं । क्या यह फेडरल स्ट्रक्चर के तकाजों के मुताबिक है? क्या हम कहीं न कहीं वॉयलेशन नहीं कर रहे हैं? जो मूल मंत्र है हमारी कांस्टिट्यूशन का, जो मूल मंत्र है हमारी पॉलिटी का । जब हमने वर्ष 1950 में आइन बनाया तो हमने कहा ?We the people, adopt, enact and give ourselves this Constitution.? उसमें यह कहा गया है कि स्टेट के लेजिस्लेचर का इख्तियार क्या होगा और पार्लियामेंट का अख्तियार क्या होगा । आखिर इसका मिसयूज हम क्यों कर रहे हैं? पार्लियामेंट इसका क्यों गलत इस्तेमाल कर रहा है?

जनाब, दूसरी बात, यह क्या बात है कि डेढ़ करोड़ लोग हैं, यह संशोधन उस असेंबली में होना चाहिए था, जहां पर यह कानून बनाया गया था । आखिर क्या वजह है कि पिछले 10 सालों में हमारी कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है? हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और कोई असेंबली नहीं है । असेंबली के ये सारे लोकल मामलात हैं, इसलिए सारे लोकल इनपुट्स होने चाहिए थे और लोकल तरजीहात होनी चाहिए थी । वहां की असेंबली के जो मेम्बरान हैं, वे आकर इस पर बहस करते कि क्या-क्या आवश्यकता है, कौन-कौन अन-रिप्रेजेंटेड रहा है? जहां तक ख़वातीन का ताल्लुक है, पहले से ही ख़वातीन की रिजर्वेशन पंचायती राज सिस्टम में मौजूद थी । हर टियर पर थी । जो डीडीसी इलेक्शन हुए, उसके बाद वहां के चेयरमैन हुए, वह सारा वहां पर बरकरार रखा गया । लेकिन, क्या वजह है कि असेंबली नहीं बनाई जा रही है, इलेक्शन नहीं किए जा रहे हैं और न ही कोई टाइम फ्रेम दिया जा रहा है । आप 5 अगस्त के फैसले को हर बार सिर्फ हसुलयाबी से तहबियात करते हैं, जबकि हर गुजरते दिन के साथ आपको यह अहसास कराया जा रहा है कि आपने जो फैसले किए थे, वे फैसले सही नहीं थे और देश के हित में नहीं थे । हम देश के साथ हैं । हमने देश के साथ रिश्ता जोड़ा है । इसलिए, वे फैसले देश के हित में नहीं थे, यह साबित करता है । वहां मौके पर मामलात हो रहे हैं ।

जनाब, कोई चीज आईन के दायरे के बाहर नहीं होनी चाहिए । यह मुल्क हरेक नागरिक का है । इसका इंट्रेस्ट हरेक के दिल के करीब होना चाहिए । इन्होंने यह अपने सियासी फायदों के लिए किया है । वहां पर जब वह नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे क्या मामला है? उसको देखना चाहिए । वहां के डेढ़ करोड़ लोगों के जो इख्तियार हैं, जम्मू के लोगों के जो इख्तियार हैं, कश्मीर के लोगों के जो इख्तियार हैं, लद्दाख के लोगों के जो इख्तियार हैं, अगर यह होता तो जम्मू में अनसर्टेनिटी क्यों होती? जम्मू में गैर-यकीनियत क्यों होती? जम्मू में तनाव क्यों होता? यह सिर्फ कश्मीर में नहीं है । लद्दाख में लोग जीरो टेम्परेचर पर क्यों होते, माइनस 10 डिग्री टेम्परेचर पर सड़क पर क्यों होते? मेरा कहना है कि एक टाइम फ्रेम दिया जाए । यह बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया कि हमें सुप्रीम कोर्ट कहे कि इलेक्शन कीजिए । यह हमें पहले करना चाहिए था । कांस्टिट्यूशन का जो तकाजा है, उसको पूरा करते हुए वहां पर इलेक्शन कराना चाहिए था । लेकिन, हमने सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया । मुझे लगता है कि सरकार के लिए यह बहुत शर्मिंदगी की बात है । ये इलेक्शन के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं । आप इसको उस असेम्बली पर छोड़ दीजिए । मैंने कल भी कहा था । कहीं न कहीं यह दिखता है कि जैसे एक तरीकेकार हो । 1.5 करोड़ लोगों का जो जम्हूरी हुक़ूक़ है, क्या आप उनको महरूम रखेंगे? वहां के आईन के तहत इलेक्शन होगा ।

जनाब, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि हम बड़े-बड़े फैसले करेंगे । मुझे लगता है कि उससे पहले यह फैसला होना चाहिए कि आप 5 अगस्त के फैसले को नज़रसानी कीजिए, रेट्रोस्पेक्शन कीजिए कि देश ने क्या पाया और इससे कितना नुकसान हुआ । उस पर चर्चा कोई कीजिए । इस हाउस में उस पर चर्चा होनी चाहिए और उसको वहां की असेंबली पर छोड़ना चाहिए । वहां की असेंबली इसका फैसला करेगी ।?(व्यवधान) जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए ।?(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री अजय मिश्र टेनी**) :** माननीय सभापति जी, ये चुनाव से केवल यह मान रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव है । हमारी सरकार ने 5 अगस्त के बाद वहां पर सरपंचों के चुनाव भी कराए हैं, ब्लॉक के भी चुनाव कराए हैं, जिला पंचायत के भी चुनाव कराए हैं । जम्मू-कश्मीर में पहली बार 35,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों को अवसर मिला है ।

माननीय मसूदी साहब ने ये कहा है, पहले वहां पर संविधान के सारे प्रावधान नहीं लागू थे । यह संशोधन इसलिए लाना पड़ रहा है, क्योंकि संविधान के भाग 9 और 9(ए) में पंचायतों और नगर पालिका के लिए पूरे देश में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए प्रावधान था, लेकिन जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989, जम्मू-कश्मीर नगर पालिका अधिनियम, 2000 और जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को कोई आरक्षण नहीं दिया गया था । इस संवैधानिक भूल को सुधारने के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया है ।

प्रो**.** सौगत राय **(**दमदम**) :** महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989, जम्मू-कश्मीर नगर पालिका अधिनियम, 2000 और जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

एक तो एनडीए की सरकार में लोकल बॉडीज़ में जो चुनाव होते हैं, वह ठीक नहीं है । कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे चंडीगढ़ में चुनाव हुआ है, वह ?शर्म? की बात है । वहां अधिकारी को देखकर चुनाव में घोटाला किया गया । आप लोगों को ?शर्म? आनी चाहिए । माननीय जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने ऐसा बोला ।?(व्यवधान)

महोदय, दूसरी बात यह है कि जब भी मैंने जम्मू और कश्मीर के किसी मसले पर इस हाउस में बोला है, तो मैंने बार-बार बोला है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनकी हालत पर छोड़ दो । वर्ष 2019 में अपनी मनमानी करके जम्मू और कश्मीर को एक अलग केन्द्रशासित प्रदेश बना दिया, फिर लद्दाख को भी अलग केन्द्रशासित प्रदेश बना दिया । आपकी जैसी इच्छा है, हिन्दुस्तान में यह पहली बार है कि एक राज्य को केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया है । इसके पहले केन्द्रशासित प्रदेश को राज्य बनाया जाता था । आपने यह जो किया है, गलत किया है ।?(व्यवधान) इस सबके बारे में बिधूड़ी जी कुछ नहीं समझते हैं ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** बिधूड़ी जी, कृपया आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** दादा, सिर्फ आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

प्रो**.** सौगत राय **:** महोदय, मैं बोलता रहूंगा । ये बिधूड़ी जैसे लोग डिस्टर्ब करेंगे, तो अच्छा नहीं होगा ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप बोलते रहिए ।

? (व्यवधान)

प्रो**.** सौगत राय **:** महोदय, जैसा मैंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनकी हालत पर छोड़ दिया जाए । मैं चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर की असेंबली का चुनाव हो जाए । ये हमारी मांग है । आप छोटा-मोटा कानून लाते हैं, इसको अंग्रेजी में टिंकरिंग कहते हैं ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय मंत्री जी, प्लीज आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

प्रो**.** सौगत राय **:** मंत्री जी, आपको क्या हुआ? लगता है कि आपको कोई समस्या है । आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं??(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You have every right to say everything in your reply, but not now, please.

? (*Interruptions*)

प्रो**.** सौगत राय **:** महोदय, ये टिंकरिंग नहीं चलेगी । जम्मू और कश्मीर में प्रॉपर चुनाव कराया जाए । उसका स्टेटहुड वापस दिया जाए । उसके बाद आप जितने कानून बनाने चाहते हैं, तो आप राज्य को बोलिए, वे करेंगे ।

सर, जो कानून लाए हैं, इसमें दो-तीन चीजें हैं कि पंचायत और पौर निगम के अंदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिज़र्वेशन लाया गया है । इसमें कोई विरोध नहीं हो सकता है । आप इसको कीजिए, लेकिन मूलभूत सवाल को छोड़कर इन छोटे-मोटे सवालों पर मत फांसिए, फिर म्युनिसिपेलिटी में ओबीसी को संरक्षण दिया जाएगा ।

सर, तीसरी बात यह है कि वहां पर कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान नहीं था । वहां चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हुआ करता था । अभी इस अमेंडमेंट से एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बन रहा है । वहां जो नीचे स्तर का चुनाव है, उससे पंचायत या पौर निगम के चुनाव कराएंगे । उनको पावर क्या होगी, यह भी इस नए कानून में दिया गया है कि राज्य में सब पंचायत और पौर निगम का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा । यह भी बताया गया है कि पहले स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर को लेफ्टिनेंट गवर्नर हटा सकते थे, लेकिन अभी यह कानून बना है कि हाई कोर्ट के जज को जिस ढंग से हटाया जाता है, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा । इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है । सभी स्टेट्स में तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को यह पावर है और उनको हटाना भी उतना ही मुश्किल है । जैसा हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट होता है, वैसे ही उनको हटाया जाएगा । मैं आज कहना चाहता हूं कि यहां अमित शाह जी मौजूद नहीं है । वह कहां-कहां चले जाते हैं, पता भी नहीं है । उनका नाम है कि वह कानून लाएंगे -- ?Shri Amit Shah to move that the Bill further to amend?? अमित शाह जी कहां हैं? नित्यानंद राय जी खड़े हो जाते है, अजय मिश्रा टेनी खड़े हो जाते हैं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** सौगत राय जी, यह अनावश्यक बात है । You know it.

? (*Interruptions*)

प्रो**.** सौगत राय **:** सर, इसमें क्या लिखा है?

माननीय सभापति **:** ठीक है, लेकिन परमिट तो किया है । His MoS is piloting the Bill. This is not an issue.

PROF. SOUGATA RAY: Which MoS are you talking about? There are two MoS sitting side by side. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please come to the Bill.

? (*Interruptions*)

प्रो**.** सौगत राय **:** सर, अमित शाह जी के साइड बाई साइड तीन असिस्टैंट्स हैं । ? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** अब आप अपनी बात कम्प्लीट कीजिए । मुझे लगता है कि आप अपनी बात कह चुके हैं ।

? (व्यवधान)

श्री अजय मिश्र टेनी **:** आप इतने सम्मानित सदस्य होकर ऐसी बात कह रहे हैं ।? (व्यवधान)

प्रो**.** सौगत राय **:** सर, मैं एक-दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shrimati Supriya Sule ji.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, nothing is going on record.

? (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Sougata Da, nothing is going on record now.

? (*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** सुप्रिया सुले जी, आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** उनकी कोई चीज़ रिकॉर्ड में नहीं जा रही है ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you very much, hon. Chairperson, Sir.

On behalf of the Nationalist Congress Party, I stand here in support of this Panchayati Raj Bill. As I support this Bill, there are a few questions which I would like to ask the hon. Government. I seek clarifications from the Government. I appreciate that the Government is trying to do lot of good things. That is what I hear when they speak about Jammu and Kashmir.

Hon. Chairperson, Sir, I want to ask pointed questions to this Government. The Panchayati Raj was brought in by the late Prime Minister Shri Rajiv Gandhi ji for decentralisation of power which is a good thing. Power must be decentralised. But the question is this. Today, the people of Jammu and Kashmir demand two things ? one is Statehood and another is State Elections. Can they give us a timeline and an answer with a date not just something vague because ?n? number of times Shri Amit Shah ji had committed to this House, to the nation, and to the people of Jammu and Kashmir and Ladakh that they will take elections within the next one year? एक साल हो चुका है । क्या आप बता सकते हैं कि आप उनकी स्टेटहुड की डिमांड कब देंगे और इलेक्शन कब कराएंगे? हमें इसकी तारीख चाहिए । We do not want a vague answer. आप तीन महीने के अंदर कराएंगे, वह भी चलेगा । मुझे पता है कि आप तारीख नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप टाइमलाइन तो दे सकते हैं । आप इतना तो कर ही सकते हैं ।

Even Ladakh is demanding a legislature. So, will they give a legislature? They are also demanding it. So, what is the plan of this Government?

Sir, I want to ask one more question to this Government. ओबीसी में करेंगे, यह अच्छी बात है । We all support it. Right now, Maharashtra is going through the most difficult issue of reservations. भले मराठा हो, धनगर हो, लिंगायत हो, मुस्लिम हो, हमारे विजियंटी हो this

Government is bringing piecemeal reservations. इसके बाद हम फिर से जम्मू-कश्मीर एससी-एसटी का बिल लेकर बैठने वाले हैं । So, what is this Government?s clear stand on SC/ST and OBC? It is because they are not doing the same. महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है और मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, विजियंटी, बाम्टा, टकारी, रामोशी और सब समाज मांग रहे हैं । इस सरकार का एक नियम जम्मू-कश्मीर के लिए पीस-बाई-पीस लाते हैं और महाराष्ट्र में कुछ निर्णय नहीं हो रहा है । So, why does not this Government bring a policy for the entire country? एक पॉलिसी देश के लिए लाए, जहां ओबीसी हो, एससी-एसटी हो, जो भी आरक्षण दे, उसके लिए क्लीयर पूरा सबजैक्ट सब साथ में लाए तो देश में अच्छे से चर्चा हो सकती है और यह आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी । To give OBC reservation, there is a condition. महाराष्ट्र में भी अब लिटिगेशन हो रहा है । महाराष्ट्र में जो इनके साथ भुजबल साहब हैं, उनका ओबीसी के लिए एजिटेशन चल रहा है । उसमें उन्होंने ट्रिपल टैस्ट का जो इश्यू है, I am sure you are all aware. One is a dedicated commission to examine the backwardness, second is to determine the size of the quota and third is that these reservations combined with SC/ST quota should not go over fifty per cent. यह जो ट्रिपल टैस्ट है, इसके बारे में is the Government of Jammu & Kashmir and Ladakh ready with all these things? नहीं तो हम यहां से पास करके भेज देंगे और फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में दो-ढाई साल से एक इलेक्शन नहीं हुआ है । न पंचायत का हुआ है, न जिला परिषद का हुआ है और न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हुआ है । It is because all this is grey area, कोई कोर्ट में चला गया है । A State like Maharashtra which needs centralisation of power सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से काम नहीं होते हैं । आज नगर सेवक चाहिए । आम आदमी कहां जाए? जिला परिषद का मैम्बर चाहिए । लेकिन महाराष्ट्र में इलेक्शन रुके पड़े हैं । So, we do not want this to happen. जो महाराष्ट्र में हुआ, वह जम्मू-कश्मीर में न हो । इसलिए मैं सिर्फ सुझाव दे रही हूं और जैसे आप जम्मू-कश्मीर में करेंगे, वैसे महाराष्ट्र में आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है । तीन-तीन लोग हैं, दो सौ एमएलए हैं, फिर भी इलेक्शन नहीं हो रहा है । मेरी आपसे विनती है कि आपकी जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, वह इलेक्शन में कुछ करे । It is in the larger interest.

I seriously request this Government for election date, statehood and a demand for this triple test. How are they going to resolve this? We support it but with all these clarifications.

Thank you.

श्री प्रतापराव जाधव **(**बुलढाणा**):** माननीय सभापति जी, मैं अपनी शिव सेना पार्टी की तरफ से जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 के समर्थन में मैं यहां खड़ा हूं ।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को यहां धन्यवाद दूंगा कि अभी तक जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की वजह से आज आजादी के 75 साल बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग को न्याय उपलब्ध होने जा रहा है ।

महोदय, अब तक की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व से वंचित रखा था । वैसे तो विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा की बड़ी-बड़ी बातें करती है । लेकिन हकीकत में यह यथार्थ से बहुत परे है । इन लोगों ने गरीबों को गरीब रखने में और पिछड़े को पिछड़ा रखने में अपना फायदा समझा । कांग्रेस ने गरीबी मिटाने के बड़े वायदे किए, बड़े नारे लगाए । न गरीबी हटी और न पिछड़े वर्ग को वहां न्याय मिला ।

महोदय, केन्द्र में सबसे लम्बे समय तक सरकार में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने अभी भी ओबीसी की चिंता नहीं की । तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने काका कालेलकर के साथ जो व्यवहार किया था, वही व्यवहार बाद में भी होता गया । श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी द्वारा मंडल आयोग । भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 का पालन करते हुए 29 जनवरी, 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गयी थी ।

हालाँकि, नेहरू जी ने कालेलकर समिति के प्रस्तावों को अनाप-शनाप तरीके से कूड़ेदान में फेंक दिया था । जब बीजेपी समर्थित वी.पी. सरकार केंद्र में स्थापित हुई, उसी समय मंडल आयोग लागू किया गया, जिसका राजीव गांधी जी ने और कांग्रेस के लोगों ने संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर पुरजोर विरोध किया । यह स्पष्ट और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, पार्टी की पक्षपाती और ओबीसी विरोधी मानसिकता ने उसे ओबीसी समुदाय को मजबूत करने से रोका ।

सभापति महोदय, जब से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र में एनडीए सरकार सत्ता में आई है, तब से गरीबों के उत्थान में वृद्धि हुई है और सत्ता में एससी, एसटी और ओबीसी की भागीदारी बढ़ी है । इस विधेयक से जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग के अलावा भविष्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बजाय एक राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित होंगे, जिससे चुनाव करने में राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा और वहां पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे ।

सभापति महोदय, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने ओबीसी के लिए बड़े कदम उठाए हैं । राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना मौजूदा सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है । संविधान (123 वां संशोधन) विधेयक बनाकर संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया है । यह बिल संसद में सर्वसम्मति से पारित हो गया है । एनसीबीसी के पास अब सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं । इसमें लोगों को बुलाना और शपथ पर उनकी जांच करना, किसी दस्तावेज या सार्वजनिक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने की आवश्यकता तथा साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है ।

एनसीबीसी को अब पिछड़ी जातियों की स्थिति का अध्ययन करने का अधिकार है । यह अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की भी जांच कर सकता है और ऐसे वर्गों को सामाजिक-आर्थिक विकास पर सलाह दे सकता है और सिफारिशें कर सकता है । अब इस आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान दर्जा मिल गया है ।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह बात रखना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में अभी ओबीसी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है । महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के चलते 57 लाख लोगों को कुनबी का सर्टिफिकेट देने के लिए उनके रिकॉर्ड में साक्ष्य मिले हैं । अब उन लोगों को वहां पर कुनबी सर्टिफिकेट मिलने वाला है । बहुत दिनों से संसद में भी जातीय न्याय जनगणना की बात हो रही है । अगर वहां पर वर्ष 2026-27 में होने वाली जनगणना में ओबीसी की भी जनगणना की जाएगी तो अच्छा होगा । जिन स्टेट्स में ओबीसी ज्यादा होंगे, उन स्टेट्स में

ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा और जिन स्टेट्स में कम होंगे, उन स्टेट्स का आरक्षण कम कर दिया जाएगा । इनकी जनगणना करने की आवश्यकता है । आज महाराष्ट्र में कोली, धनगर, लिंगायत और बहुत सारे समाज के अलग-अलग वर्गों में आरक्षण के लिए बहुत बड़े-बड़े आंदोलन हो रहे हैं ।

मेरा सरकार से आग्रह है कि पिछड़े वर्ग का जो आयोग बना है, उसके माध्यम से कोली, धनगर, लिंगायत और जो भी लोग यह चाहते हैं कि उनके समाज की वहां पर जनगणना की जाए और उनकी आयोग के माध्यम से जांच करके अगर कोई एसटी में जा सकता है तो उनको एसटी का आरक्षण मिल जाए, कोई एससी में जा सकता है तो उनको एससी का आरक्षण मिल जाए । अगर कोई ओबीसी में आ सकता है तो उनको ओबीसी में आने का प्रावधान होना चाहिए ।

केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देने की आवश्यकता है और वहां पर आरक्षण के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए और लोगों की जो मांग है, उसको उचित ठहराने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से उन सभी समाजों की जांच की जाए । अगर जांच सही हो तो उनको तुरंत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए ।

सभापति महोदय, इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ ।

13.00 hrs

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 (1989 का 9), जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (2000 का 20) और जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं । आज जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है । मैं इसके लिए देश के प्रधान मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को बधाई एवं धन्यवाद देता हूं । आजादी को करीब 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक जम्मू-कश्मीर में ओबीसी एवं महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया था । सरकार यह बिल लाई है । इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देते हुए कहूंगा कि ओबीसी के लिए जो नियम, जिस तरह से बिहार के पंचायती राज एवं नगरपालिका में लागू हैं, उसी व्यवस्था में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण देने का प्रावधान है । मेरा अनुरोध था कि इसे 50 प्रतिशत करना चाहिए । जो महिलाएं शोषित, पीड़ित और ओबीसी वर्ग में हैं, उनको यह लाभ मिलता है । निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी लाभ मिलेगा और विकास में चार चांद लगेंगे ।

आज मैं सरकार को बधाई देता हूं कि महिलाओं के लिए जो 33 प्रतिशत आरक्षण लाया गया है, इसको बिहार की ही तर्ज पर और आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी । जिस तरह से देश में महिला आयोग है । वहां भी राज्य में महिला आयोग बनना चाहिए, जिससे महिलाओं को लाभ हो । हमारे देश में जिस तरह से पिछड़ा आयोग बना है, वहां भी पिछड़ा आयोग हो, तो निश्चित रूप से ओबीसी वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा । मैं समझता हूं कि आज जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है । इस ऐतिहासिक दिन के लिए मैं सरकार को बधाई और धन्यवाद देते हुए, इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : माननीय सभापति जी, आज जम्मू-कश्मीर के पंचायतों में निकाय चुनाव में ओबीसी समाज के लोगों के लिए आरक्षण बिल लाया गया है, इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं । हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने वर्ष 2014 में ही कहा था ? ?सबका साथ-सबका विकास? । उसी पद्धति के तहत जिनकी जितनी भागीदार, उनको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ।

सर, इसी को लोकतंत्र कहते हैं । इसी लोकतंत्र की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में उस समाज के डेढ़ करोड़ लोग रहते थे, जहां केवल तीन परिवार आधिपत्य जमाए बैठे थे । तीन परिवारों की बपौती के कारण वे गुलामी की मानसिकता से जीवन जी रहे थे ।

सर, मेरे अनुसार ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 370 के हटने से पहले एससी समाज को वोट डालने का भी अधिकार जम्मू-कश्मीर में नहीं था, जो इसी देश के नागरिक हैं । इनको योगेन्द्र मंडल की बात याद करनी चाहिए । जब वर्ष 1947 में देश का पार्टिशन हुआ था, तो वे जिन्ना के साथ गए थे और उस समय पाकिस्तान में हिन्दुओं की आबादी 23 प्रतिशत थी, जो आज घटकर डेढ़ प्रतिशत रह गई है । उसके पीछे उस समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखना केवल देश को बपौती समझ कर राज करने की मानसिकता थी । आज जम्मू-कश्मीर की जो जम्हूरियत है, उनकी मेहरबानी पर जीने को मजबूर हुआ करती थी । मैं उससे संबंधित कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं । वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटी । मसूदी साहब यहां बैठे हैं, अगर वे सुनेंगे तो बढ़िया रहेगा । उन्होंने बड़े अच्छे शब्द कहे थे । वे अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे थे, जो उनको सूट करती थी ।

सर, पिछले पांच सालों में वहां पर 58 प्रोजेक्ट्स लागू किए गए हैं, जिनमें से 32 प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए हैं । वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के बीच में वहां 5,300 करोड़ रुपए खर्च हुए । आज वर्ल्ड का हाइस्ट रेल ब्रिज जम्मू-कश्मीर में बना है और वह मोदी जी के नेतृत्व में बना है । एशिया का लाँगेस्ट रोड टनल अगर कहीं बना है, तो वह उधमपुर में जम्मू-कश्मीर के अंदर बना है । जम्मू-कश्मीर हमारा सिरमौर है, हमारा ताज है और हमारे भारत की पहचान रही है, जिसकी खूबसूरती को पिछले 50 सालों में वोट के कारण एक खानदान, एक परिवार के द्वारा बर्बाद करने का काम किया गया है । यह तीन परिवारों का पालन-पोषण करके उनके साथ मिल कर किया गया है । अगर मैं हाईवे, रोड की बात करूं, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 17,601 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, जिनमें 2,074 जगहों को कनेक्टिविटी दी गई है । वर्ष 2021-22 में जम्मू-कश्मीर में देश में सबसे ज्यादा सड़क बनाने का रिकॉर्ड बना है । जम्मू-कश्मीर में 6,450 किलोमीटर सड़क बनी है, जो शायद किसी अन्य राज्य में कहीं नहीं बनी है । अभी सौगत राय जी चले गए हैं । जम्मू कश्मीर में पिछले पांच साल में 170 नए ब्रिज बनने का काम हुआ है । नई बनिहाल और एंड चेनानी टनल बनाने का काम हुआ है । उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला का 272 किलोमीटर का लास्ट फेज चल रहा है, वह कम्पलीट होने जा रहा है । एनएच-48 हाइवे का लास्ट फेज चल रहा है, जो कि 6 फेज में बांटा गया था, जिसके चार फेज कम्पलीट हो चुके हैं । ग्रीन फील्ड हाइवे का काम दिल्ली से वैष्णो देवी तक 670 किलोमीटर का 37,524 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है । अमरनाथ का 210 किलोमीटर का 5300 करोड़ रुपये की लागत से एक रोड बना है । जम्मू श्रीनगर हाइवे का काम 3127 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है । पहले 8-10 घंटे लगा करते थे, लेकिन अब 4 से 5 घंटे लगते हैं ।

अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, जिन युवाओं के हाथ में 500 या हजार रुपये पकड़ा कर पत्थर फेंकने के लिए स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी, अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता था । अगर देश के किसी छोटे से यूटी में दो एम्स कहीं बने हैं, तो हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी साहब ने जम्मू-कश्मीर में बनाने का काम किया है । कश्मीर के लोगों के बच्चे डॉक्टर बन सकें, उनके लिए 7 मेडिकल कॉलेजेज, 28 नर्सिंग कॉलेजेज, दो कैंसर के इंस्टीट्यूट्स, 50 नए डिग्री कॉलेजेज, आईआईटी, आईआईएम कॉलेज चालू कर दिए गए हैं । वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट चालू हो गई है । वहां पर जी-20 के दो-दो कार्यक्रम हुए, जहां जम्मू-कश्मीर में लाल चौक के ऊपर क्या कहानी कही जाती थी, वह किसी से छिपी हुई नहीं है । इसके आगे मैं आना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जम्मू-कश्मीर में डेढ़ करोड़ की आबादी है, एक करोड़ 80 लाख पर्यटक पिछले 3 साल में वहां गए हैं ।

वहां के लोगों को रोजगार दिया है और वहां के लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं । पीएम आवास योजना में 50 हजार गरीब लोगों को, जो आज़ादी के 50 साल के बाद भी जम्मू-कश्मीर में कच्चे घरों में रहते थे, 50 हजार लोगों को पक्के मकान देने का काम किया है ।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने, जम्मू-कश्मीर, देश और अपोजिशन के लोगों के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि जहां 30 साल से सिनेमा और थियेटर बंद पड़े हुए थे, आज सौ से ज्यादा शोज वहां चलाए जाते हैं । वहां लोग फिल्म देख रहे हैं । सुप्रिया जी, केजरीवाल की बहन लगती हैं । पत्थर फेंकती है, भाग जाती है । अगर वह यहां होती तो मैं उनको बताता, मसूदी साहब सुन रहे हैं, दादा साहब आप भी सुन लीजिए । वर्ष 2004 से 2014 के बीच 7217 अटैक हुए थे, जब कांग्रेस और मसूदी साहब आप लोगों की सरकारें चला करती थीं । लास्ट दस साल में टेररिस्ट्स के केवल 2000 अटैक हुए हैं । अगर टेररिज्म में 70 परसेंट का रिडक्शन हुआ है तो वह मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की सोच के कारण हुआ है । वहां लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के कारण हुआ है । अगर मैं सिक्योरिटी परसोनेल की बात करूं तो 30 जवान शहीद हो गए, 20 जवान शहीद हो गए । वर्ष 2004 से 2014 के बीच 2800 जवान मारे गए थे, दस साल में 30 की गिनती गाकर 2800 जवान मारे गए थे, क्योंकि जो बच्चा दस साल का था, वह अब 20 साल का हो गया है, वह तो यही समझेगा कि 30 लोग मर रहे हैं । लेकिन 2800 लोग पिछले दस साल में मारे गए थे । पिछले दस साल के अंदर सिविलियन फोर्स के सहारे लगा कर, यह नहीं होना चाहिए था, यह शर्मनाक है ।? (व्यवधान)

सर, मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिए । कुछ लोगों को यह जानकारी रहनी चाहिए, ये लोग अपने ट्विटर हैंडल से, कहीं से बोलते होंगे, देश गुमराह होता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में क्या हो रहा है? वर्ष 2010 में पत्थर मारने की घटनाएं 2654 थीं और अनुच्छेद 370 हटने के बाद पत्थर मारने की 4 घटनाएं हुई हैं । मूसदी साहब चार हुई हैं, वह तुम्हारे चेले कहां चले गए, आप उनसे पूछिये । दस साल के अंदर 6235 लोगों की, सिटीजन्स ऑफ वैली की मृत्यु हुई थी । अब वर्ष 2023 में एक भी ऐसी सिविलियन की मृत्यु आतंकवादियों के द्वारा नहीं हुई है । वर्ष 2014 से पहले घुसपैठ की 489 कोशिशें हुई थीं, अब कुल 48 हो गई हैं । वह भी धीरे-धीरे कम हो रही हैं । बॉर्डर से गोविंदपुरी, कालकाजी, दिल्ली, निजामुद्दीन, बम्बई में बम ब्लास्ट होते थे । आप वहां से आतंकवादी, घुसपैठियों को परमिट दिया करते थे, उनके परमिट बंद हो गए हैं, आप कांग्रेस के सहयोग से जो परिमट देते थे । बम ब्लास्ट करने वाले हिंदुस्तान में आने बंद हो गए हैं और आज एक भी केस नहीं है । अब तक एनआईए के द्वारा, क्योंकि वह तो सब इनके रिस्तेदार थे, इनके चाहने वाले थे, इनकी शह पर चलते थे, एनआईए के द्वारा दस साल में केवल 229 लोग गिरफ्तार हुए थे । क्या रिश्तेदारी थी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं । उनकी स्टेट में 150 संपत्तियां काबू की गई हैं और आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों के 134 बैंक एकाउंट्स से 100 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं । आज ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, मैं देश के गृह मंत्री जी, माननीय मोदी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं ।

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा । ?सबका साथ, सबका विकास? के रूप में मोदी जी ने उच्च वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है । इन्होंने पिछले 10 साल में प्रचार किया कि ये एससी, एसटी रिज़र्वेशन खत्म कर देंगे, लेकिन उनको छेड़े बगैर प्रधानमंत्री जी ने गरीब उच्च वर्ग के लोगों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है ।

वहाँ थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन गुर्जर-बक्करवाल है । उनके पास एसटी का आरक्षण है । वे पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं । अब वे ऊपर आने लगे हैं । आज उनको बीडीसी और डीडीसी के अन्दर मेम्बर बनने का मौका मिला है, तो मसूदी साहब, उनको यह मौका अनुच्छेद 370 हटने के बाद मिला है । हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर वे मेम्बर हैं । आज से

पहले आपने उनको आरक्षण देकर कभी बराबरी का हक नहीं दिया था । आप उस राज्य को अपनी बपौती समझकर उनसे नौकर की तरह व्यवहार करके काम करवाते थे, उनका शोषण किया करते थे । अभी जो एसटी का आरक्षण दिया जा रहा है, पहाड़ियों को आरक्षण मिलना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं । मेरा एक सुझाव है कि उनके आरक्षण में कटौती किये बगैर, चूंकि उनमें एजुकेशन नहीं है, शिड्युल्ड कास्ट्स में भी जिन जातियों में एजुकेशन नहीं है, उनको उसका आरक्षण नहीं मिल पाया था । केवल कुछ ही वर्गों के लोग, जो पढ़े-लिखे हुआ करते थे, वे इसका लाभ ले पाये थे । पहाड़ी लोगों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन गुर्जर-बक्करवाल के आरक्षण को छेड़े बगैर, उसे विस्तृत करके आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए । मैं यह निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024.

Sir, I think India is probably the only country where people are discriminated from their birth itself. For several centuries, people have been discriminated on this ground. You can say that this particular community is not going to ever grow in life. They were oppressed to such an extent that we had the horrible crime of untouchability being practised in this country. It took several great leaders to be able to bring in a law against untouchability. Baba Sahab Ambedkar brought in a law where he said that untouchability is a crime, and it should not be practised.

But we have to acknowledge that despite this law the practice of untouchability is still in vogue in several parts of India. I think the appropriate way to bring that down is to empower those people through reservation. But we have reservations only in elected bodies like Parliament, State Legislative Assemblies and local bodies. We are trying to empower those people who have been oppressed for several centuries. Rajiv Gandhi was the leader who wanted to decentralize the power and give it to the local bodies, and for this he introduced the panchayati raj system.

Sir, this Government is talking about the local bodies in Jammu and Kashmir where they want to empower OBCs. I commend this Government for that. It is a very great move. But the problem is that for several hundreds of years these people have been put down and now for 75 years only we have this policy of reservation through which we encourage the downtrodden people to grow up in life.

But we do not have a clue about what has happened with this reservation policy. For 75 years, we have been giving reservations to several communities. If you look at OBCs, it is not just two or three communities. There are hundreds of

communities which fall within that OBC category. Unless we have caste-based census, we will not be able to understand the effects of reservation and find out which communities have benefited and developed out of this, and which particular communities are still being oppressed. We have to find out such communities which have not been benefited so far so that they can be brought up in the society.

Sir, if you want to recollect, Tamil Nadu is the first State to have the highest number of reservations. We have 69 per cent reservation, and we feel that proportionate reservation is necessary. We have to first identify what all the communities are. When the Government says that this reservation is for OBCs, I feel that we should also have reservation for several communities within OBCs itself.

The Government of India has a creamy layer concept. They say that if a person of one generation has grown or graduated, his son is not eligible for these benefits. The Government should understand that these communities have been oppressed for hundreds, if not thousands, of years. But they are saying that if one particular family has got the benefits of reservation, these benefits should not be given to the next generation of that family. So, I would suggest that this Government, which has brought in the concept of creamy layer, should say that those who are not from the creamy layer would be given the first preference, and that reservation quota should be reserved for those people even if they are from the creamy layer, and it would be provided to them.

Sir, I also want to say that in the Railway recruitment, in order to overcome the reservation policy, they have gone for two examinations.

HON. CHAIRPERSON: You speak on the Bill.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Sir, these are the points which are being raised regarding this.

The Government was talking about empowering OBCs. If they really want to have reservation happening in respect of OBCs to the people who deserve it, we need to have a caste-based census.

In 2019, when Article 370 was abrogated, we opposed it not because Jammu and Kashmir should be treated separately; we felt that India is more of a continent where we have several regions speaking different languages and we have our own cultural identities. It is great to say that we are one nation. We are all part of the

nation. If you talk about Tamil Nadu, we will say that we are Tamils first and Indians next. But if you come within Tamil Nadu and go to Madurai, the Madurai person will say that ?I am a Madurai person first and then only a Tamil?. So, these are certain identities which we are living with and that identity should be respected.

When we oppose the abrogation of Article 370, we are saying that each and every State in this country, be it UP, be it Tamil Nadu, be it Kerala, we should have our freedom and independence to run our States the way we want to. You cannot say that we can have one concept of one nation and that every State in this country should be following that concept.

Sir, I would like to end by saying that first, you give back Jammu and Kashmir the statehood and then, let the people over there decide about this.

As a country, what you could probably do is to have a caste-based census. If a State Government does it, it is only called a survey - Bihar has done it and it is only called a survey - and it will not be officially acknowledged. So, I would like to ask this Government whether a caste-based census is on their agenda or not.

Thank you very much.

माननीय सभापति **:** श्री अरविंद सावंत जी ? उपस्थित नहीं ।

श्रीमती नवनित रवि राणा ।

कृपा करके दो-दो मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए ।

श्रीमती नवनित रवि राणा **(**अमरावती**):** सर, दो मिनट भी बहुत हैं । हम तो संतोष रखने वाले लोगों में से हैं ।

महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम अमेंडमेंट बिल 2024 पर बोलने का अवसर दिया है ।

सर, अभी हमारे काफी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी है । हर बात पर विरोध करना अपोजिशन की आदत है । जम्मू-कश्मीर की परिस्थिति इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से देखी है । जब हम पिछली बार वहाँ पर गए थे तो लोगों ने पूछा था कि आप हिन्दुस्तान से हैं और अब जब मैं हाल ही में जाकर आयी हूँ तो लोग कहते हैं कि धारा 370 हटाकर हम जम्मू-कश्मीरियन लोगों को जो न्याय देने का काम मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया है, वह हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, नहीं तो आज तक जितने भी लोग जम्मू-कश्मीर पर राज कर रहे थे, वे अपने परिवारों के लिए काम कर रहे थे, न कि कश्मीरियों के लिए काम कर रहे थे । आज सरकार जो अमेंडमेंट जम्मू-कश्मीर के लिए ला रही है, वहाँ पर जी-20 के माध्यम से जो विकास होना था, जो मार्केट होनी चाहिए थी, जो विजिटर्स लोगों के लिए, जो टूर करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थीं, वहाँ पर ए टू जेड जो काम होना चाहिए था, वह काम आज बहुत अच्छी तरह से हो रहा है ।

यह हमारी बात नहीं है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं और लोकल लोगों से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी भावनाएं हमारे प्रति क्या हैं । उनसे बात करने पर हमें पता चलता है कि धारा 370 हटने के बाद जो काम होना चाहिए था, उस पर किस तरीके से काम हुआ है । बेरोजगारी पर क्या काम हो रहा है, जो ग्राउंडेड लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनका यही एक ही शब्द कहना था । ये अपोजिशन के लोग हैं । हमारे काका ने कहा कि जो जिस हालत में है, उसे जम्मू-कश्मीर में रहने दो । अगर उसी हालत में उसे छोड़ दिया तो यह सरकार आप जैसी नहीं हो जाएगी । मोदी जी का कहना है कि हम अपने कामों पर विश्वास रखकर लोगों को न्याय देने के लिए काम करते हैं और वही न्याय जम्मू-कश्मीर में दिखाई दे रहा है । जब आप ग्राउंड लेवल पर जाकर आम लोगों से बात करते हैं, हर बिल का अमेंडमेंट होने के बाद उनमें एक विश्वास जागता है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा ।

हमारे जम्मू-कश्मीर के लोग आगे बढें, इसके लिए काम हो रहा है । मुझे लगता है कि विरोधियों को विरोध का चश्मा पहनना कम कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए । विपक्ष को सिर्फ विरोध ही करना है । अमित शाह जी यदि कोई बिल लेकर आते हैं तो मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए लाते हैं । जम्मू-कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है । विपक्ष, जो विरोध करने का चश्मा पहनकर बैठे हैं, इनसे हमारी विनती है कि देश को आगे बढ़ाना है, तो इन्होंने अपनी आंखों में विपक्ष का जो चश्मा पहना है, वह हटाकर जम्मू-कश्मीर और कश्मीरियन को मदद करने का काम इन लोगों की तरफ से भी होना चाहिए । जैसी आंखें रहेंगी, वैसे ही जग दिखाई देगा । इनकी आंखों में यदि दोष होगा, तो इन्हें किसी भी अमेंडमेंट में और किसी भी बिल में कहीं भी सुधार नहीं दिखाई देगा ।

सभापति जी, जिस तरह से अमित शाह जी के मंत्रालय के सभी मंत्री यहां बैठे हैं, वे एक-एक अमेंडमेंट जम्मू-कश्मीर के फायदे के लिए लाए हैं । यह बिल वहां के लोगों के लिए है न कि स्वयं इनके या इनके परिवार के लिए है, इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी लोग बिल के साथ हैं और सपोर्ट करते हैं कि जम्मू-कश्मीर को भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह प्रगति करनी चाहिए । आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर भी हमारे देश का सबसे बड़ा क्षेत्र बनना चाहिए, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से बहुत अभिनंदन करती हूं । धन्यवाद ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, thank you very much for giving me this chance to take part in the discussion on the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws (Amendment) Bill, 2024.

In principle, I agree and support the Bill in providing reservation to Other Backward Classes. In principle, we fully agree with it. The Bill is introduced and piloted in this House by virtue of Article 243D, clause 6 of the Constitution of India. Technically, there is no wrong in piloting the Bill, in introducing the Bill. We have no apprehension and we have no reservation on this. But if you examine Article 243D, clause 6 of the Constitution of India, it says: ?Nothing in this Part shall prevent the Legislature of a State from making any provision for reservation of seats in any Panchayat or offices of Chairpersons in the Panchayats at any level in favour of backward class of citizens.?

The spirit of the Constitution talks about the Legislature of a State. Yes, technically, you are correct. Since the Legislature is dissolved and since it has become a Union Territory, the Parliament is having ample and absolute authority to make laws for the Union Territories. But the spirit of the legislation is entirely different. It has to be by the State Legislature. The State Legislature is the will of the people of the particular State.

That is why at the time of repeal of Article 370, the hon. Home Minister has assured this House that Statehood will be brought back to the State of Jammu and Kashmir at the earliest, within one year. What has happened subsequent to the repeal of Article 370 or dividing the State of Jammu and Kashmir into two Union Territories? It has never happened in the history of independent India. This is the first time in Indian history a State is being divided into two Union Territories.

A State might have been divided into different States but this is the first time in the constitutional history and the history of independent India that a State is divided into two Union Territories against the wishes of the people of Jammu and Kashmir. So far, no election is held.

The Statehood has not been brought back. In such as situation, you are coming with these laws. It is a law which is providing reservation to Other Backward Classes of the people in the State of Jammu and Kashmir. It is not fair on the part of the Parliament to make a law. Let the Statehood be brought back and the Assembly be reinstated so that the Assembly can very well provide the reservation to the people belonging to the Other Backward Classes in the State of Jammu and Kashmir.

Sir, at this juncture, I would like to say one more thing. Technically it is fully okay but principally it is not fair on the part of the Government in coming with such a Bill. We have to remember the 73rd and 74th constitutional amendments. During the time of the then Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, this had been piloted and passed. At the time of Shri Rajiv Gandhi, once it was tried and failed. This is a revolutionary change which took place in the country regarding decentralisation of powers, empowering the local bodies. Definitely, Jammu and Kashmir?s local bodies have to be empowered. Election has to be held. Reservation has to be provided. But at the same time, the assurances made by the hon. Home Minister in this august House have to be completed at the earliest. Also, as rightly said by Supriya Sule ji, when will the Statehood be brought back or the election will be

held? Kindly give an assurance to this august House so that the people will be satisfied with that.

With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): Namaskar Sir. Actually, there are only three Union Territories with Assemblies, namely Puducherry, Delhi and Jammu and Kashmir. The nature of two Assemblies, particularly Puducherry and Jammu and Kashmir are the same. I want to express my problems in Puducherry while comparing it with Jammu and Kashmir.

There is no Finance Commission and devolution of funds to the local bodies. It is not attached with the Central Finance Commission also. My humble suggestion is that the Finance Commission should be constituted for the Union Territory of Jammu and Kashmir and then only the local bodies will get funds. Otherwise, there is no meaning of local bodies. We have the same experience in Puducherry. The local bodies cannot function without funds. There is also no devolution of powers. This is the problem of the Union Territory.

There is no constitutional commitment for the Finance Commission for the Union Territories. It is not a statutory body. So, I would humbly request the Home Minister to constitute the State Finance Commission, and then only the local bodies will get the fund. The devolution of powers to the local bodies concerned should be done by the State Government, particularly by the Union Territories. It has not taken place because the Union Territory is controlled by the Lieutenant Governor and the Lieutenant Governor will not delegate powers to the local bodies. So, the Lieutenant Governor should delegate all the powers concerned to the local bodies and then only the functioning of the local bodies will take place.

In Puducherry, the local body leaders only have the social status, and there is no commitment for them. This is a major problem for the local bodies in the Union Territories. Thank you, Sir.

श्री सुनील कुमार **(**वाल्मीकि नगर**):** सभापति महोदय, जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024, जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989; जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000; और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 के कुछ प्रावधानों को संविधान के प्रावधानों के साथ सुसंगत रूप से संशोधित करने का प्रयास करता है । विधेयक जम्मू और कश्मीर में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है, जो स्वागतयोग्य है । इससे पिछड़ा समाज को उसका अधिकार प्राप्त होगा ।

विधेयक में यह कहा गया है कि भविष्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बजाय एक राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाएंगे जिसमें एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा । यह केन्द्र सरकार की एक अच्छी पहल है, जिसका हम स्वागत करते हैं । इससे स्थानीय निकायों का चुनाव सुलभ एवं निष्पक्ष होगा ।

विधेयक में यह कहा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों के अलावा उनके कार्यालय से नहीं हटाया जाएगा और राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनके कार्यकाल के बाद उनके लिए अहितकर बदलाव नहीं किया जाएगा । हम कह सकते हैं कि इससे जम्मू-कश्मीर का चुनाव निष्पक्ष होगा और यह राज्य के हित में है ।

महोदय, अपनी पार्टी की ओर से मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhartruhari Mahtab -- Not present.

Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, in the wake of the passage of Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 in Parliament last year, it necessitated introduction of the OBC reservation. So, I think that as a natural corollary of the passage of the Bill, it is quite necessary to pass this Bill. So, I do not have any opposition to this Bill in principle. There is no question of it. But I must suggest to peep into the time and space dimension of this legislative document.

Sir, Panchayat institutions in Jammu and Kashmir have already been suspended now because नौ जनवरी तक इनकी आयु थी । नौ जनवरी के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत और नहीं बची हैं । सर, हालात ऐसे हो गए हैं कि पांच सालों से वहां कोई इलेक्टिड गवर्मेंट नहीं है । खास कर जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष 2014 के बाद से आज तक कोई इलेक्शन भी नहीं हुआ है । मतलब एक तरफ विधान सभा के चुनाव, दूसरी तरफ पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडीज़ के चुनाव, सभी चुनाव, have remained in suspended animation.

आपने जब आर्टिकल 370 हटायी थी, आपका यह मकसद था, आपके कहने के मुताबिक कि हम जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को और ताकत देने के लिए आर्टिकल 370 हटा रहे हैं । आप खुद ही देखिए कि आपने वहां पर लोकतंत्र को कैसे ताकतवर किया है कि वहां कोई चुनाव ही नहीं होते हैं और बिना चुनाव के पंचायतें चलती हैं । आप उनको एक्सटेंशन दे सकते थे । मान लीजिए कि मोदी जी ने कल को कह दिया कि 100 दिन के बाद चुनावों के नतीजे आ जाएंगे, मतलब नयी सरकार के गठन होने के पहले चुनाव होना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्यों पहले चुनाव नहीं करा कर आप इस तरह का बिल लाते हैं? यह मेरा सबसे बड़ा सवाल है ।

दूसरी बात, ये सब जानते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने स्पष्ट तरीके से यह वादा किया है कि वे कास्ट सेंसस कराएंगे और 50 पर्सेंट रिज़र्वेशन का जो मुद्दा है, उसको हटाएंगे । मोदी जी और यह सरकार ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जब हम कास्ट सेंसस की मांग करते हैं तो मोदी जी खुद कहते हैं कि हमारी कोई कास्ट ही

नहीं है । ये चार कास्ट उन्होंने बनाए, लेकिन बाकी कोई कास्ट नहीं है । हमारी मांग है कि यह कास्ट सेंसस कराना चाहिए । हम चाहते हैं कि सरकार हमारे नेता राहुल गांधी जी और खास कर कांग्रेस पार्टी की इस मांग को स्वीकार करे और कास्ट सेंसस करा कर 50 पर्सेंट रिज़र्वेशन की जो लिमिट है, उसको भी हटाने की कोशिश करे । यह भी हमारी मांग है ।

सर, ये घड़ियाली आंसू बहा कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं । चुनाव के पहले ये एक डेमोग्राफिक कम्पोजिशन में, the Government has simply been fiddling with the demographic composition of Jammu and Kashmir in order to score political brownie points. लेकिन यह सरकार वहां पर चुनाव नहीं कराती है, वहां का स्टेटहुड बहाल नहीं करती है । इस प्रकार से वहां के आम लोगों को अपने अधिकारों से वंचित रखती है । यह वहां के आम लोगों का अधिकार है । यह ट्रायल ऑफ पॉपुलेरिटी है । पूरे जम्मू कश्मीर के गांव वाले शंका में हैं कि उनकी तरक्की, उनकी जो सुविधाएं पंचायत के बदौलत मिलती थीं, उसका क्या नतीजा होगा । इस तरह से हालात वहां पैदा हुए हैं ।

सर, ये बेकार में ओबीसी, एससी एवं एसटी की बात करते हैं, यह सारी नौटंकी है । आप झारखंड में देखिए, कि इन्होंने कैसे एक आदिवासी मुख्य मंत्री को जेल में भिजवा कर, सरकार को हटाने की कोशिश की है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय मंत्री जी ।

? (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय **:** महोदय, मैं बड़े धैर्य और गौर से सभी माननीय सदस्यों को सुन रहा था । मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक तरफ तो ये लोग उस बिल का, जो जम्मू कश्मीर की पंचायत और नगर निकायों में ओबीसी रिज़र्वेशन के लिए लाया गया है, उसके समर्थन का नाटक कर रहे थे और बार-बार उसको कहीं न कहीं घुमा रहे थे । मैं इनको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भी घुमाइए या जिस प्रकार से भी घूमिए, मैं जम्मू कश्मीर तक की बात कर रहा हूँ, जहां भी जाइएगा, आपको हर जगह मोदी, मोदी, मोदी और मोदी का विकास ही मिलेगा ।

महोदय, एक तो जब से ओबीसी वर्ग का एक व्यक्ति इस देश का माननीय प्रधान मंत्री बना है, तब से इनको सर से ले कर पैर तक दर्द हो रहा है और वह आज भी परिलक्षित हुआ, जब ओबीसी के हित में जम्मू कश्मीर से संबंधित यह बिल लाया गया, तो बार-बार ये लोग कुछ न कुछ अपनी बातों से, अस्पष्टता के साथ उसको एक तरह से इंकार करने का काम कर रहे थे ।

महोदय, यहां काफी सांसदों श्री जसबीर सिंह जी से लेकर श्री अधीर रंजन जी तक ने अपनी बात रखी है । पहले भी संशोधन हुए हैं, यह बात यहां कही गई । संशोधन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में एसटी के लिए 9 सीटें सुरक्षित की गई हैं । कश्मीरी विस्थापितों के दो सदस्यों के नामांकन का प्रावधान है, जिसमें एक महिला होगी और एक, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के विस्थापित व्यक्ति भी होंगे । यहां एसटी, महिलाओं और कश्मीरी विस्थापितों के विषय में चिंता व्यक्त की गई । इस सदन में इनके लिए पहले निर्णय लिए गए हैं । जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2023 के माध्यम से विधान सभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट के आरक्षण का प्रावधान किया गया है । जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक के माध्यम से कमजोर और वंचित वर्गों की परिभाषा को अन्य वर्ग में बदल दिया गया है । इस ऐतिहासिक बदलाव से स्थानीय

निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को सक्षम करने के लिए हम एक और अग्रणी विधेयक लाने में सक्षम हैं ।

महोदय, आज मैं यहां अपनी बहन चिंता अनुराधा जी की बात सुन रहा था । वह कह रही थी कि यह ओबीसी विधेयक है और इसमें ओबीसी की चिंता की गई है । वह ऐसा कह रही थी कि यह सरकार इस देश के ओबीसी की चिंता करे । मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ओबीसी के लिए मोदी जी की सरकार कितना प्रतिबद्ध और चिंतित है तथा उनके कल्याण व विकास के लिए कितनी योजनाएं लाई हैं । इसका मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा ।

महोदय, जब वर्ष 2014 में सेंट्रल हॉल में माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और सरकार बन रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार पिछड़ों को समर्पित है । उन्होंने इसको सिद्ध भी किया है । मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पहली बार ओबीसी समुदाय के हैं, जिसका प्रतिशत 35 प्रतिशत होता है । ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं प्रदान की गई थी । संवैधानिक मान्यता प्रदान न होने से हमेशा पिछड़े वर्गों का आरक्षण संदेह के घेरे में था, पता नहीं किस समय किस ऑर्डर से उस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा । जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उस समय ओबीसी के आरक्षण को बहुत मजबूती प्रदान किया गया । इन्होंने इस काम को नहीं किया । इसे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने किया है । ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंतर्गत एमबीबीएस और एमडी के दाखिले में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया है । अब तक इन्होंने क्यों नहीं किया था? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के दाखिले में ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा मिल रही है ।? (व्यवधान) ये भी जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं है । इस काम को मोदी जी की सरकार ने ही किया है । इन्होंने तो कुछ नहीं किया और आज अपनी हालत पर रो रहे हैं ।

<u>13.39 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

अध्यक्ष महोदय, पिछले नौ वर्षों में ओबीसी छात्रों के नामांकन में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । कुछ संस्थानों में भी, जैसे आईआईटी में ओबीसी छात्रों की ट्यूशन फीस माफ कर दी गई है । अब एक लाख रुपये तक की आय वाले विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस नहीं लगेगी । नीट परीक्षा में ओबीसी समुदाय के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आवंटन में ओबीसी को 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है । ओबीसी उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत रियायती वित्त प्रदान करने की व्यवस्था की गई है । प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अर्वाड पीएम-यशस्वी के तहत ओबीसी छात्रों को वार्षिक 4000 रुपये से 1,25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है । ओबीसी के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजनाएं, 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले ओबीसी के लिए वर्ष 2023 में 2 लाख लाभार्थियों को 678 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई ।

महोदय, यह जम्मू-कश्मीर कश्मीर से संबंधित विधेयक है, मैं इस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। जम्मू-कश्मीर के ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए कई पहल की गईं । यह पहल सामूहिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश में समान अवसर सुनिश्चित करने और ओबीसी आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है । आरक्षण नीति का पालन किया गया । वहां छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई, छात्रावासों की सुविधायें दी गईं । ओबीसी छात्रावासों का निर्माण कई स्थानों पर हुआ । जम्मू-कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग बोर्ड की स्थापना की गई । ?(व्यवधान) जम्मू-कश्मीर सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए वहां सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की । वहां उपराज्यपाल की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए जम्मू-कश्मीर में कई व्यवस्थायें लागू की गईं । एससी, एसटी की भी चिंता की जा रही है । एससी, एसटी महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों, सभी को समानता और निष्पक्षता की गारंटी हुई ।

पहाड़ी समाज को भी चार प्रतिशत आरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांव के निवासियों को भी आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर को भी दस प्रतिशत आरक्षण, सफाई कर्मचारी डोमेसाइल सर्टीफिकेट के लिए पात्र बनाए गए । वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन योजनाओं में शत-प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया गया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मसूदी साहब कह रहे थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या परिवर्तन आया, कुछ परिवर्तन नहीं आया । मैं इस पर दो मिनट का समय जरूर लेना चाहूंगा और उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि महत्वूपर्ण बदलाव हुए । अनुच्छेद 370 की समाप्ति केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में परिवर्तनकारी चरण सिद्ध हुआ है, जिससे विकास, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक आयामों में व्यापक परिवर्तन देखे गए । बुनियादी ढांचे का उल्लेखनीय सुधार, पॉवर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और वितरण की क्षमता बढ़ी है । सिंचाई परियोजनाएं, सड़क, रेल, हवाई, मेरे पास सभी आंकड़े हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय का निर्देश है कि संक्षिप्त उत्तर दिया जाए । मैं बता सकता हूं, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगार में प्रगति हुई है । आईटी, प्रौद्योगिकी एकीकरण और ऑनलाइन सेवाओं में अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है । पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया है । पंचायती औद्योगिक विकास, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है । शैक्षणिक सुविधा, रोजगार के अवसर, पर्यटन का विकास और सामाजिक कल्याण भी सुनिश्चित किया गया है ।

आप कह रहे थे कि घटनायें बढ़ी हैं । मैं कह रहा हूं कि घटनाओं में काफी कमी हुई है । केंद्र सरकार की पहल पर, मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर की शांति, सुरक्षा, विकास का ख्याल किया गया । आजादी के बाद हमेशा आप लोगों ने अन्याय के रास्ते पर चलकर जम्मू-कश्मीर को कुचला है, लेकिन मोदी सरकार ने कश्मीर को न्याय देने का काम किया है ।

आतंकवाद के खिलाफ माननीय मोदी जी की सरकार की जीरो टॉलरेंस है और उस नीति के कारण वहां विकास भी हुआ है । मैं थोड़ा इंडीकेटर देना चाहूंगा । वर्ष 2004 से 2014 के बीच कुल 7,217 घटनाएं हुईं । जून, 2014 से दिसम्बर, 2023 में ये घटनायें घटकर 2,224 हो गईं, यानी कि घटनाओं में 69 प्रतिशत की कमी आई । नागरिक के साथ-साथ सिक्योरिटी फोर्सेज़ की आपके जमाने में जो दस वर्षों में 2004 से 2014 तक 2,829 घटनाएं थीं, मोदी जी के कार्यकाल में इन दस वर्षों में घटी हैं । आपने ही तो कहा, मसूदी साहब का सवाल मैंने नोट करके रखा है । उनका सवाल है, रिकॉर्ड में देख लीजिए, नहीं तो मैं ओबीसी आरक्षण से बाहर नहीं जाता । सुप्रिया जी, आप भी ओबीसी आरक्षण के बदले महाराष्ट्र के विषय पर चली गई थीं । ? (व्यवधान)

विगत दस वर्षों में 2829 से घटकर 913 यानी 68% की कमी हुई, नागरिकों की मृत्यु 1769 से घटकर 339 हो गई, इसमें 81 प्रतिशत की कमी हुई । सिक्योरिटी फोर्सेज की मृत्यु 1060 से घटकर 574 हो गई, इसमें 46 प्रतिशत की कमी हुई है । स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु पहले होती थी, अब नहीं होती है । 2010 में स्टोन पेल्टिंग में 132 लोगों की मृत्यु हुई थी । अब यह घटकर जीरो हो गया है, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेज उन 10 वर्षों में 6 हजार 235 हुए थे, अब यह घटकर जीरो हो गया है ।

श्री अधीर रंजन चौधरी**:** ये सारी बातें अमित शाह जी बहुत बार बोल चुके हैं, कुछ नया है तो बताइए ।

श्री नित्यानन्द राय**:** अध्यक्ष महोदय, आप अगर समझ गए हैं तो मैं बैठ जाउंगा, नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे पास उपाय ? (व्यवधान) मैं जरूर यहां कहना चाहूंगा कि जब से धारा 370 हटी है, वहां से विभिन्न आयामों के साथ जम्मू-कश्मीर को न्याय मिल रहा है । सौगत दादा बोल रहे थे कि जम्मू-कश्मीर को अपने भरोसे छोड़ दो । जम्मू-कश्मीर के लोगों पर मोदी सरकार ने भरोसा किया है, लेकिन आतंकवादियों के भरोसे नहीं छोड़ा

है । आप लोगों ने आतंकवादियों को गोद में बैठा दिया था, जिसके कारण वहां समस्याएं उत्पन्न हुई थीं और उन समस्याओं के कारण जम्मू-कश्मीर के हालात बिगड़े थे, यह जगजाहिर है ।

महोदय, जी-20 की चर्चा होती रही है, अमरनाथ यात्रा में 4 लाख 45 हजार यात्री सम्मिलित हुए, कश्मीरी विस्थापितों द्वारा अब प्रमुख धार्मिक स्थानों पर त्योहार मनाना शुरू हो गया है । मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है । शारदा देवी मंदिर में दशकों बाद दीपावली मनायी गई है । श्रीनगर के लाल चौक पर मुर्हरम के जुलुए निकले हैं । दो दरबार परंपरा समाप्त हो गई है । एक राजधानी होने से 400 करोड़ रुपये की बचत हुई है ।

महोदय, अब दो करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं । पर्यटकों के वहां पहुंचने से वंचित, गरीब, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रोजगार का अवसर मिल रहा है । अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा, लगभग 15 सदस्यों ने अपनी बातें कही हैं । प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि टेक्नीकल रूप से ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है । मोदी जी का सिद्धांत ओबीसी का कल्याण का है । ओबीसी का कल्याण हो और न्याय के साथ विकास हो, विकास की गंगा की धारा वहां तक पहुंचे, उनको विकास मिले, यही मोदी जी का सिद्धांत है । उसी सिद्धांत के अनुरूप जम्मू-कश्मीर में इस विधेयक से यह व्यवस्था सोची गई है, इसी का प्रस्ताव सदन में आया है ।

अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान भाग 9 और 9 (1) में पंचायत और नगर निगमों में आरक्षण का प्रावधान है । कुछ सदस्य कह रहे थे कि वहां पहले से ऐसी व्यवस्था है, कुछ सदस्य किसी कमेटी की चर्चा कर रहे थे । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वहां नगर निगम और ग्राम पंचायत के चुनाव में जो सदस्य चुने जाते हैं, उन सदस्यों के लिए किसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी । जो चुनाव होता है और जो काउन्सिल के सदस्य चुने जाते हैं, ग्राम पंचायतों में चुने जाते हैं, उनके लिए आरक्षण नहीं था ।

इस विधेयक में तीन संशोधन हैं, इनको मैं पहले ही बता चुका हूं । ये तीनों संशोधन ओबीसी के हित में है । ओबीसी आरक्षण लागू करने में सुविधा प्रदान होगी, यह उसी से संबंधित विधेयक है । मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मित से इसे पारित करें ताकि जम्मू-कश्मीर के ग्राम पंचायतों और नगर निगमों में ओबीसी के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिले । उस आरक्षण के अधिकार में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, इसलिए ओबीसी के हित में और ओबीसी महिलाओं के हित में आप जरूर सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष**:** प्रश्न यह है:

?कि जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 (1989 का 9), जम्मू- कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (2000 का 20) और जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 (2000 का 21) का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

माननीय अध्यक्ष **:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 से 19 विधेयक के अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री नित्यानन्द राय **:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

_____

माननीय अध्यक्ष**:** आइटम नंबर 25, लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024

माननीय मंत्री जी ।

13.50 ½ hrs